न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 33/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री मिश्रीलाल पिता कन्हैयालाल कोली निवासी डी–37 आजाद नगर भीलवाड़ा
——अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक कोटड़ी
——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 06/06/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार व उप पंजीयक कोटड़ी के विरूद्ध दिनांक 26.04.2018 को अपील जरिये डाक प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 06/03/2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 40 एफ 921571 संलग्न कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार व उप पंजीयक कोटड़ी से सूचना चाही गई परन्तु नियत समय सीमा व्यतीत हो जाने पर भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.03.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ संलग्न कर जरिये डाक प्राप्त हुई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 07/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार व उप पंजीयक कोटड़ी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। अपीलार्थी नियत दिनांक 21.05.2018 को उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/पंजीयन/ 2018/ 217–18 दिनांक 05.06.2018 से बिन्दु संख्या 01 की सूचना के सम्बन्ध में अपने पत्रांक/पंजीयन/2018/217–18 दिनांक 05.06.2018 से अपीलार्थी को सीधे ही लिखते हुए उक्त सूचना की प्रति इस न्यायालय को प्रेषित करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा जो सूचना चाही वह अस्पष्ट है तथा ग्राम होलीरड़ा की आ0नं0 2066/7 एवं 2066/8 की वर्ष 2005 से 2017 के मध्य हुए पंजीयन सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही गई जो किसी भी तरह दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी की अपील के साथ संलग्न आवेदन में अंकित सूचना अनुसार ग्राम होलीरड़ा की आ0नं0 2066/7 व 2066/8 की वर्ष 2005 से 2017 में किए गए विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रतियां चाही गई। प्रथम तो अपीलार्थी के आवेदन में जो सूचना है वह बल्क में है साथ ही अपीलार्थी ने ग्राम होलीरड़ा की आराजीयात का विक्रय किस दिनांक व माह में विक्रय किसके मध्य हुआ कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। केवल वर्ष 2005 से 2017 के मध्य किए गए विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रतियां चाही गई जो किसी भी तरह से तैयार की जाकर दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि पंजीयन विभाग में एक ही दिन में कई दस्तावेजों का पंजीयन होता है। अपीलार्थी यदि पंजीयन क्रमांक व पंजीयन की दिनांक या माह का उल्लेख करते हुए सूचना चाहता तो प्रदान की जा सकती थी। फिर भी प्रत्यर्थी के द्वारा ग्राम होलीरड़ा पटवारी हल्का आकोला से उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में विक्रय हुआ हो और उनका राजस्व रिकॉर्ड में वर्ष 2005 से 2017 में नामान्तरकरण हुआ हो इसकी सूचना प्राप्त करते हुए अपीलार्थी को अपने पत्रांक/ पंजीयन/ 2018/ 217–18 दिनांक 05.06.2018 से सूचना दिया जाना संभव नहीं होने का जारी सूचना पत्र उचित प्रतीत होता है। अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। अतएव–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार व उप पंजीयक कोटड़ी को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 06/06/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा